पंचायती राज जागरूकता श्रृंखला

कैसे करें ग्राम सभा में भागीदारी ?

पंचायती राज अधिनियम में ग्राम सभा को सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए है। ग्राम के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी नागरिक जिनका मतदाता सूची में नाम हो, ग्राम सभा के सदस्य है। प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा में अपने मुद्दे रखने, मुद्दों पर चर्चा करने, सवाल पूछने और फैसले में भागीदारी करने का अधिकार है। इस प्रकार अधिकारों के साथ–साथ ग्राम सभा की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है।

phia
to end poverty

ग्राम स्वशासन अभियान
(आसरा, संवाद, अराउज़, लोक जागृति केंद्र)

Azim Premji Philanthropic Initiatives